न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 17/2024

1. राजेश गुर्जर पुत्र श्री नन्दा उर्फ नन्दलाल गुर्जर उम्र करीबन 24 वर्ष निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान। प्रार्थी

बनाम

1. नन्दा उर्फ नन्दलाल गुर्जर पुत्र लादू गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
2. उपपंजीयक , किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
4. युनियन बैंक ऑफ इंडिया जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान। —अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थीः श्री रामदेव गुर्जर

वकील अप्रार्थीः— एकपक्षीय

दिनांक 14.07.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में पेश कर निवेदन किया कि वादीगण/प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा है, परन्तु वाद में समय लगना स्वाभाविक है इस कारण प्रार्थना पत्र धारा 212 आर०टी०एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य रक्त संबंध है एवं प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 का सगा पुत्र एवं जायन्दा सन्तान है। जिसका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :—

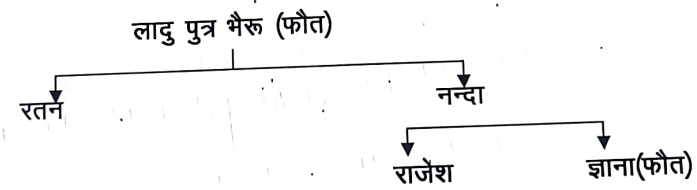

प्रार्थी की पैतृककृषि आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 244/1/1 के वर्तमान खसरा नम्बर 214 रकबा 5.0158 हैक्टेयर भूमि जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 8111/49644 हिस्सा दर्ज है एवं खसरा नम्बर 233 रकबा 0.7362 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज है। जो अप्रार्थी संख्या 1 को विरासत से अर्थात प्रार्थी के दादा स्व० लादू पुत्र भैरू से नामान्तकरण संख्या 899 दिनांक 16.12.2010 से प्राप्त हुई है उपरोक्त आराजीयात पैतृक होने से प्रार्थी को हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत जन्म से विधिक अधिकार प्राप्त है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी की पैतृक सम्पति का अधिकार अभिलेख में इन्द्राज होने के कारण उपरोक्त खसरा नम्बरान में दर्ज सम्पूर्ण हिस्से का बैचान करने पर उद्धत है अप्रार्थी संख्या 1 आदतन शराबी किस्म का व्यक्ति है जो पूर्व में भी भूमि को औने पौने दामो में बैचान कर दी गयी थी एवं जिसमें भी प्रार्थी का काफी आर्थिक व्यय हुआ है अप्रार्थी संख्या 1 शराबी होने से परिवार के दायित्वों से विमुक्त हो गया है प्रार्थी ही अपने सम्पूर्ण परिवार की देखरेख करता है एवं वर्णित आराजीयात को सार संभाल करता है एवं उपरोक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का ही सतत् रूप से कब्जा काश्त है अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भू—माफियां किस्म के व्यक्तियों से मिलकर उपरोक्त पैतृक सम्पति को औने—पौने दामो में बैचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर उतारू है जबकी उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के पिता, प्रार्थी के दादा से प्राप्त सम्पति है जो पैतृक सम्पति है पैतृक सम्पति को बैचान करने का अप्रार्थी संख्या 1 को

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

के तहत उपरोक्त आराजी में विधिक अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात पर काबिज काश्त है एवं आय अर्जित करने का एकमात्र साधन उपरोक्त कृषि भूमि है इसके अलावा अन्य कोई साधन नही है एवं प्रार्थी युवा अवस्था है एवं परिवार के प्रति समर्पित है एवं सम्पूर्ण सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुये अपना जीवन यापन उपरोक्त आराजीयात में कृषि कार्य कर रहा है एवं आर्थिक व शारिरिक परिश्रम करके अधिक उपजाऊ योग्य बनाई है उपरोक्त आराजीयात खुर्द–बुर्द हो जाती है तो प्रार्थी युवा अवस्था से ही साम्पतिक अधिकार से महरूम हो जायेगा एवं युवा अवस्था में ही प्रार्थी वाद में संलिप्त होकर अपनी युवा अवस्था के जीवन भारी संकट उत्पन्न होने से काफी क्षति कारीत होगी। जो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने साम्पतिक अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की पैतृक आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से बेदखल कर उपरोक्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, शक्ल परिवर्तन, रहन करने पर आमादा है एवं उपरोक्त आराजी अन्य दिगर व्यक्ति को वैचान करने के उद्देश्य से, अप्रार्थीगण कुछ भू–माफियां गिरोह से मिलकर खुर्द–बुर्द कर बेचान करने पर उतारू है। जिससे परिवार की आपसी समरसता समाप्त हो जायेगी एवं वाद की बाहुल्यता बढ जायेगी। प्रार्थी का उपरोक्त पैतृक आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैध रूप से भू–माफिया गिरोह से मिलकर अन्य दिगर व्यक्ति को बैचान करने के उद्देश्य से उपरोक्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त करने पर उद्दत है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी से पाबन्द किया जावें की उपरोक्त आराजी का बैचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त नहीं करने एवं प्रार्थी को मौके से बेदखल नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री पारित किये जाने की अधिकारी है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है चूंकि उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक भूमि है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवैधानिक कृत्य करके आराजीयात को बैचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर उतारू है अप्रार्थी संख्या 1 अपने अवैध मन्सुबे में कामयाब हो जायेगा तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी प्रार्थी को अपने साम्पतिक अधिकारों से महरूम होना पडेगा एवं जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 राज्य सरकार के अधिनस्थ अधिकारी है अप्रार्थी संख्या 4 के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूमि रहन दर्ज होने के कारण पक्षकार कायम किया गया है एवं अन्य सहखातेदारों से किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इस कारण पक्षकार संयोजित नही किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की पैतृक कृषि आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में स्थित है जिसके पूर्व खसरा नम्बर 244/1/1 के वर्तमान खसरा नम्बर 214 रकबा 5.0158 हैक्टेयर भूमि जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का 8111/49644 हिस्सा दर्ज है एवं खसरा नम्बर 233 रकबा 0.7362 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा अधिकार अभिलेख में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे उपरोक्त आराजी को बेचान, हस्तान्तरण, भारयुक्त नहीं करने एवं प्रार्थी के कृषकिय कार्य में मदाखलत उत्पन्न नहीं करने, प्रार्थी को मौके से बेदखल नहीं करने हेतु अर्थात ताफेसला मूल वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 07.02.2024 को दर्ज किया गया तथा अप्राथीगणों की तलबी जरिये सम्मन किये गये। दिनाक 07.05.2024 तक भी अप्रार्थी संख्या 01 से 04 अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनके विरूद्व दिनांक 07.05.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 31.07.2024 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्ध करें। वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में मौजूद नामान्तरण संख्या 899 दिनांक 16.12.2010 से सिद्ध है कि वादअधीन भूमि खसरा संख्या 214, 233 ग्राम पाटन वादी के पूर्वाधिकारी लादू से वादी के पिता को विरासत से प्राप्त हुई है। अतः प्रार्थी का वादअधीन भूमि में विरासत के अनुसार हक हिस्सा निहित है। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. 1955 के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया–

प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः– वादअधीन भूमि प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के नाम दर्ज है जिससे प्रार्थी का वादअधीन भूमि में हक जाहिर है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि पर प्रार्थी पैतृकता के आधार पर काबिज काश्त है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अपूरणीय क्षतिः— यदि अप्रार्थी संख्या 01 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थी को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पाटन स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 214 व 233 में प्रार्थी के निहित हिस्से तक वादअधीन भूमि में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14/7/25 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)